कार्यालय प्रमुख अभियंता,
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
जलभवन बाणगंगा भोपाल (म.प्र.)

क्रमांक 235/प्र.अ./विधि(पीए)/ लो.स्वा.यां.वि./2026 भोपाल, दिनांक 08/05/2026

//आदेश//

इस आदेश के माध्यम से माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर की रिट–पिटीशन कमांक 29853/2022 (इरफान कुरैशी एवं अन्य बनाम म.प्र.शासन एवं अन्य) में पारित निर्णय दिनांक 08.02.2023 के परिपालन में इस रिट याचिका में शामिल भोपाल परियोजना खंड क्रमांक–1, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, भोपाल के अधीनस्थ कार्यरत श्री गुलाब राव दैनिक वेतन भोगी हेल्पर एवं श्री रउफ खान दैनिक वेतन भोगी मजदूर द्वारा माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर से की गई मॉग कि उनका दैनिक वेतन भोगी सेवा से कार्यभारित/नियमित स्थापना की सेवा में संविलियन किया जावे, का निर्धारण किया जा रहा है।

याचिकाकर्ता कर्मचारियों श्री गुलाब राव हेल्पर (स्थाई कर्मी) एवं श्री रउफ खान मजदूर (स्थाई कर्मी) द्वारा निर्णय के उपरांत आज पर्यन्त तक भी कोई अभ्यावेदन किसी भी कार्यालय में प्रस्तुत नहीं किया गया है। यहाँ यह भी उल्लेख करना आवश्यक है कि रिट याचिका में भी उन्होंने विभाग के किसी भी प्राधिकारी को पक्षकार नहीं बनाया है इसी वजह से यह निर्णय इस कार्यालय के संज्ञान में लम्बे समय तक नहीं आ पाया था। प्रकरण में मुख्य सचिव महोदय को पक्षकार बनाये जाने को दृष्टिगत रखते हुए यह आदेश जारी किया जा रहा है ।

(1) याचिकाकर्ता दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों क्रमशः श्री गुलाब राव हेल्पर (स्थाई कर्मी) एवं श्री रउफ खान मजदूर (स्थाई कर्मी) द्वारा मा0 उच्च न्यायालय जबलपुर के समक्ष रिट पिटीशन कमांक 29853/2022 दायर कर मा0 उच्च न्यायालय से नियमितीकरण किये जाने की सहायता चाही गई थी।

(2) मा0 उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा उक्त रिट याचिका का निराकरण पारित निर्णय दिनांक 08.02.2023 के माध्यम से किया गया है। निर्णय निम्नानुसार है :–

> Thus, this petition can be disposed of with a direction that without taking into consideration the factum of permanent classification of the petitioners in terms of GAD circular dated 07/10/2016, respondent No.4 and 6 shall get a seniority list prepared showing the date of initial appointment of each of the workmen including those who have already been regularized if they are subsequent appointees than the petitioners, then consider each case on the basis of the guidelines laid down by Hon'ble Supreme Court in the case of Uma Devi (supra). They shall complete this exercise within a period of 120 days from the date of receipt of certified copy of this order being passed today. If petitioners are found to be suitable on the touchstone of the guidelines laid down by Hon'ble Supreme Court in the case of Uma Devi (supra) and as contained in the circular dated 16/05/2007, then shall pass appropriate order strictly in the order of their inter se seniority and if they are not found suitable, then shall communicate the reasons

for not granting the benefit of regularization to the petitioners within the aforesaid time.

In above terms, this writ petition is disposed of.

(3) याचिकाकर्ता कर्मचारियों द्वारा रिट याचिका के माध्यम से चाहे गये लाभों का निर्धारण

माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर की रिट–पिटीशन कमांक 29853/2022 (इरफान कुरैशी एवं अन्य बनाम म.प्र.शासन एवं अन्य) में पारित निर्णय दिनांक 08.02.2023 के परिपालन में दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों की, उनके प्रारंभिक नियोजन दिनांक के आधार पर वरिष्ठता सूची तैयार की जानी है तथा बाद में यह परीक्षण किया जाना है कि दैनिक वेतन भोगी/अस्थायी कर्मचारियों के नियमितीकरण के संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र कं. एफ 5–3/2006/1/3 भोपाल दिनांक 16.05.2007,समसंख्यक परिपत्र दिनांक 06.09.2008 एवं समसंख्यक परिपत्र दिनांक 29.09.2014 के आधार पर वर्ष 2013–2014 में जिन कर्चारियों का नियमितीकरण किया गया है यदि उनसे वरिष्ठ कोई कर्मचारी नियमितीकरण से वंचित रह गया है तो ऐसे कर्मचारी का भी नियमितीकरण किया जाना है । उपरोक्त निर्णय के संदर्भ में विभाग द्वारा की गयी कार्यवाही/पक्ष निम्नानुसार है :–

(i) लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग में कभी भी दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को ना तो सेवा से हटाया गया था और ना ही उनकी सेवा वापसी हुई थी।

(ii) विभाग में दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों का नियमितीकरण वरिष्ठता के आधार पर ही किया गया है तथा याचिकाकर्ताओं से कनिष्ठ कर्मचारी का नियमितीकरण किये जाने का कोई प्रमाण उपलब्ध नही है। याचिकाकर्ताओं ने भी नियमितीकरण के समय उनके साथ भेदभाव बरते जाने अथवा उनसे कनिष्ठ कर्मचारियों का नियमितीकरण किये जाने संबंधी कोई शिकायत प्रस्तुत नही की है। ऐसी स्थिति में पुनः वरिष्ठता सूची बनाकर भेदभाव की जॉच करने की स्थिति नहीं है।

(iii) यदि याचिकाकर्ता कर्मचारियों का आज की स्थिति में विभागीय तौर पर नियमितीकरण करने पर विचार किया जाए तो यह पाया जाता है कि मान. उच्चतम न्यायालय द्वारा **एस.एल.पी. (सिविल) कमांक 10519/2020 (विभूति शंकर पांडे बनाम म.प्र.शासन एवं अन्य) में पारित निर्णय दिनांक 08.02.2023** के अनुसार बिना स्वीकृत पद के एवं बिना सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी नियुक्ति आदेश के, अवैधनिक रूप से नियुक्त किये गये दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को पूर्व में **Secretary, State of Karnataka and Ors. v. Umadevi and Ors.** में निर्धारित शर्तो को देखते हुए नियमितीकरण की पात्रता नहीं आती है। निर्णय निम्नानुसार है :–

3. The case of the appellant is that he was engaged in 1980 as a Supervisor, on daily rated basis, under a project of the State Water Resources Department of Madhya Pradesh. The appellant sought regularization on the post of Supervisor/Time Keeper. Admittedly, the minimum qualification for the said post was matriculation with mathematics; a qualification which the appellant did not possess. These qualifications were relaxed by a Government Circular dated 31.12.2010 and the appellant sought his regularization on the post of Supervisor/Time Keeper, as he was qualified for the post and had been working on daily wage basis for a long period of time. In fact, in another writ petition (W.P. 13997/2010) filed by the appellant earlier, the High Court of Madhya Pradesh vide order dated 02.11.2017, had given directions to the State Government to decide the claim of the writ

Khursheed Khan {compatibility Mode}

petitioner in accordance with law. Vide order dated 18.06.2018 issued by the Office of Chief Engineer, Rani Avanti Bai Lodhi Sagar Project, the claim of the appellant for regularization was rejected for the reasons that though the minimum qualifications of matriculation with mathematics will not come in the way for his regularization, but the fact remains that the appellant was never appointed against any post. Moreover, his appointment was never made by the competent authority and there were no posts available at the time for regularization. The appellant on the other hand, had set his claim for regularization as persons who were junior to him as daily wagers were regularized in the year 1990 or even before. The learned Single Judge while allowing the writ petition gave directions for regularization of the appellant from the date on which his juniors were regularized. This order was challenged by the State Government before a Division Bench which allowed the appeal of the State Government. The Division Bench rightly held that the learned Single Judge has not followed the principle of law as given by this Court in **Secretary, State of Karnataka and Ors. v. Umadevi and Ors.** , as initial appointment must be done by the competent authority and there must be a sanctioned post on which the daily rated employee must be working. These two conditions were clearly missing in the case of the present appellant. The Division Bench of the High Court therefore has to our mind rightly allowed the appeal and set aside the order dated 27.06.2019.

4. In view of the law laid down by the Constitution Bench of this Court in **Uma Devi** (supra), the appellant had no case for regularization. There is no scope, hence, for our interference with the order of the Division Bench of the Madhya Pradesh High Court. Appeal is dismissed.

उपरोक्तानुसार दोनों याचिकाकर्ता कर्मचारियों की नियुक्तियॉ बिना स्वीकृत पद के एवं बिना सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी नियुक्ति आदेश के अर्थात अवैधनिक रूप से होने के कारण उन्हें विभागीय तौर पर नियमितीकरण की पात्रता नहीं आती है।

(iv) मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय भोपाल के परिपत्र कमांक एफ 5–1/2013/1/3 भोपाल, दिनांक 07 अक्टूंबर 2016 के माध्यम से "कार्यरत दैनिक वेतन भोगी श्रमिकों के लिये स्थाई कर्मियों को विनियमित करने की योजना" लाई गयी है। इस योजना में कार्यरत "स्थायी कर्मियों" के लिए निर्धारित चयन प्रक्रिया (जिला स्तर के चतुर्थ श्रेणी पदों की पूर्ति हेतु संभागीय आयुक्त की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा चयन किये जाने पर) के माध्यम से चतुर्थ श्रेणी पदों पर नियमित सेवा में संविलियन के अवसर भी उपलब्ध कराये गए है। यदि याचिकाकर्ता कर्मचारियों का भविष्य में संभागीय आयुक्त की अध्यक्षता में गठित समिति के माध्यम से चतुर्थ श्रेणी के नियमित पद पर संविलियन हेतु चयन किया जाता है तो उन्हें नियमितिकरण संबंधी लाभ प्राप्त हो सकेंगे। विभाग द्वारा उन्हें कार्यमुक्त किया जावेगा।

(4) उपरोक्तानुसार निर्णय दिनांक 08.02.2023 के पालनार्थ याचिकाकर्ताओं कमशः श्री गुलाब राव हेल्पर (स्थाई कर्मी) एवं श्री रउफ खान मजदूर (स्थाई कर्मी) को उनके नियमितीकरण के संबंध में कण्डिका–(3) के तथ्यों को संज्ञान में लेने का आग्रह किया जाता है।

(5) यदि याचिकाकर्ता कर्मचारीगण क्रमशः श्री गुलाब राव हेल्पर (स्थाई कर्मी) एवं श्री रउफ खान मजदूर (स्थाई कर्मी) इस कार्यालय द्वारा किये गये इस निराकरण से असंतुष्ट है तो वे इस आदेश के विरूद्ध अपनी अपील 01 माह के भीतर प्रमुख सचिव लोक स्वास्थय यांत्रिकी विभाग, वल्लभ भवन, भोपाल के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं।

प्रमुख अभियंता

3693

पृ.क्रमांक /प्र.अ./विधि/लो.स्वा.यां.वि./2026 भोपाल, दिनांक 8/5/26

प्रतिलिपि :–

1. श्रीमान मुख्य सचिव, महोदय, मध्य प्रदेश शासन, मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल की ओर सूचनार्थ हेतु प्रेषित।
2. प्रमुख सचिव, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग मंत्रालय भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. मुख्य अभियंता लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, सतपुड़ा भवन भोपाल की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
4. अधीक्षण यंत्री, (अराज) कार्यालय प्रमुख अभियंता लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, जलभवन भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
5. अधीक्षण यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, भोपाल की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
6. कार्यपालन यंत्री, भोपाल परियोजना खंड क्रमांक –1 ,लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, भोपाल की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतू प्रेषित।
7. श्री गुलाब राव हेल्पर (स्थाई कर्मी) एवं श्री रउफ खान मजदूर (स्थाई कर्मी) भोपाल परियोजना खंड क्रमांक –1 ,लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतू प्रेषित।

प्रमुख अभियंता